उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लातेहार

(जिला नजारत शाखा)

अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति

लातेहार समाहरणालय, अतिरिक्त परिसदन भवन (नवनिर्मित) और पुराना परिसदन भवन में बागवानी एवं फव्वारा कार्य के लिए ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' के तहत् प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने का स्थान	:– कार्यालय नजारत उप समाहर्त्ता, लातेहार
इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की तिथि	:– 02.06.2016 अपराह्न 01:00 बजे तक
इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने की स्थान	:– उपायुक्त कार्यालय, लातेहार
इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि	:– दिनांक 02.06.2016 को अपराह्न 03:00 बजे तक

समाहरणालय, लातेहार एवं नवनिर्मित अतिरिक्त परिसदन भवन में बागवानी का कार्य किया जाना है। दोनो स्थानों पर लॉन, बगीचा तैयार करना, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव तथा बगीचा में फूल एवं घास आदि लगाने का कार्य किया जाना है। पुराने परिसदन भवन में अवस्थित बागवानी का सौंदर्यीकरण किया जाना है। उक्त सभी कार्यो के लिए अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं/ एजेंसी / प्रतिष्ठान से इच्छा की अभिव्यक्ति के तहत् योजना का प्रस्ताव की मांग की जाती है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 20.0/–(बीस लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त है।

प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तो के साथ आमंत्रित है :–

1. प्रस्ताव देने से पूर्व इच्छुक संस्थान/ व्यक्ति को ऊपर वर्णित तीनों कार्यो का स्थल निरीक्षण कर वास्तविक प्राक्कलन बनाना आवश्यक होगा। उक्त कार्य हेतु नजारत उप समाहर्त्ता, लातेहार नोडल पदाधिकारी रहेंगे एवं सहयोग तथा सूचना प्रदान करेंगे।
2. इच्छुक संस्थान/ प्रतिष्ठान को जिला स्तरीय महत्त्वपूर्ण योजनाओं, बडे **Landscaping** की योजनाओं में निरूपण एवं निर्माण के कार्य में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
3. वर्तमान में संस्थान द्वारा कराये गये कार्यो की विवरणी एवं फोटोग्राफ (सीडी सहित) संलग्न करना आवश्यक है।
4. संस्थान को अपना पैन कार्ड, यथा संभव सेवाकर निबंधन एवं विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न संलग्न करना आवश्यक है।
5. काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
6. इच्छुक संस्थान झारखंड राज्य में निबंधित है तो प्राथमिकता दी जायेगी।
7. सभी प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के जिला नजारत शाखा में दिनांक 02.06.2016 को अपराह्न 01:00 बजे तक स्वीकार्य किये जायेगें तथा उसी दिन अपराह 03:00 बजे प्रस्तावक या उनके प्रतिनिधि के समक्ष तीन खण्ड में खोला जायेगा।

   (1) तकनीकी बीड (2)कन्सेप्ट एवं नक्शा (3) वित्तीय बीड
8. वित्तीय बीड उन्ही संस्थानों का खोला जायेगा जिसका तकनीकी बीड एवं कन्सेप्ट बीड एवं नक्शा प्रस्तावित योजना के कार्य के अनुरुप होगा।
9. संबंधित संस्थान का **Annual Turnover 5.0/-** (पांच लाख) रूपये से कम न हो।

10. संबंधित संस्थान को अपने प्रस्ताव में किए गए कार्यो के रख रखाव हेतु 03 वर्षो तक के लिए दो माली रखने का भी प्रस्ताव सम्मिलित करना होगा।

11. बिना कारण बताये अभिव्यक्ति प्रस्ताव को रद्व करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त, लातेहार

ज्ञापांक 105 / नजा0, दिनांक 26/05 / 2016

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार

ज्ञापांक-106/नजा0, दिनांक-25/05/2016

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञानपदा0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/05/16

नजारत उपसमाहर्ता

लातेहार